

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-3/2012/वा.क.(आब.)/पांच (12).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (1) एवं (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, “छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915” के अन्तर्गत निर्मित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावी शील “ताड़ी नियम” को दिनांक 01-04-2012 से निरसित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

कार्यालय आबकारी आयुक्त छ.ग. रायपुर

आवक क्रमांक

शाखा

155 दिनांक 5-4-18
6411

अ.आ.आ